अध्याय-IV

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग

4.1 बी.एस.एल.-3 सुविधा की खरीद पर निष्फल व्यय

कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र, हैदराबाद ने जैव सुरक्षा स्तर-3 सुविधा का समुचित अधिष्ठापन सुनिश्चित किए बगैर 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान द्वारा खरीदा। उस सुविधा में समस्याएँ थीं, जिसे दूर नहीं किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप इसके खरीद पर किया गया व्यय ₹ 1.90 करोड़ का निष्फल रहा।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (सी.एस.आई.आर.) क्रय कार्यविधि, 2002 ने उपबंधित किया था कि विक्रेता को अग्रिम भुगतान मामलों के आधार पर समतुल्य बैंक गारंटी के विरुद्ध किया जा सकता था। कार्यविधि में आगे कहा गया था कि किसी भी मामले में खरीदी गई सामग्री के मूल्य का 90 प्रतिशत से अधिक का अग्रिम भुगतान नहीं हो सकता था।

सी.एस.आई.आर. के अंतर्गत अंगीभूत इकाई, कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र, हैदराबाद (सी.सी.एम.बी.) को भारत मे व्याप्त तीन बड़ी बीमारियों, जो कि एच.आई.वी., क्षय रोग एवं हेपटाइटिस हैं, पर अनुसंधान कार्य सौंपा गया था। इन संक्रामक बीमारियों पर अनुसंधान के लिए जैव सुरक्षा स्तर-3[13] (बी.एस.एल.-3) सुविधा आवश्यक था।

सी.सी.एम.बी. ने 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के विरुद्ध यू.एस. $ 3,90,000 की लागत से पूर्वनिर्मित बी.एस.एल.-3 की आपूर्ति, अधिष्ठापन, शुरू करने, परीक्षण एवं पुष्टीकरण हेतु स्वामित्व आधार पर भारतीय एजेंट मेसर्स ब्लू स्टार इंडिया लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से मेसर्स टेक्कॉम्प लिमिटेड, हॉगकॉग को क्रय आदेश दिया।

यह सुविधा अधिष्ठापन की तिथि से दो वर्षो की अवधि हेतु वारंटी के अंतर्गत था। क्रय आदेश के निबंधों एवं शर्तों के अनुसार, फर्म को वारंटी अवधि के बाद के 90 दिनों की अवधि हेतु मान्य, आदेश मूल्य के 10 प्रतिशत हेतु निष्पादन बैंक गारंटी

[13] अतिसंक्रमणीय रोग घटक के रोकथाम में जैविक सुरक्षा मामलों को निपटाने की एक उन्नत रोकथाम सुविधा।

(पी.बी.जी.) प्रस्तुत करना था। तदनुसार, फर्म ने अप्रैल 2008 तक मान्य ₹ 17.20 लाख के मूल्य का पी.बी.जी. जमा (अगस्त 2005) किया। फर्म को सुविधा के पुष्टीकरण/शुरू करने के दौरान प्रदर्शन जांच करना था। इसके अलावा, बी.एस.एल.-3 सुविधा के प्रमाणीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, इस तरह की सुविधा के अधिष्ठापन के उपरांत प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कम से कम वार्षिक आधार पर पुनर्प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए।

बी.एस.एल.-3 सुविधा प्राप्त किया गया (दिसंबर 2005) तथा ₹ 1.79 करोड़ की राशि का 100 प्रतिशत भुगतान साख-पत्र के माध्यम से जारी कर दिया गया। फर्म द्वारा सुविधा का अधिष्ठापन एवं परीक्षण (फरवरी 2006) किया गया, फिर भी, इसमें समस्या की वजह से सी.सी.एम.बी. के अभियंताओं द्वारा इसका पुष्टीकरण नहीं किया गया। उसके बाद प्रयोगकर्ता वैज्ञानिकों द्वारा सुविधा को परीक्षण के अंतर्गत रखा गया।

पूर्वनिर्मित बी.एस.एल.-3 सुविधा

परीक्षण उपयोग के बाद की अवधि में, बराबर विफलता/ व्यवधान की वजह से बी.एस.एल.-3 सुविधा ने सुचारु रूप से कार्य नहीं किया। यद्यपि फर्म ने मरम्मत, प्रतिस्थापन एवं संशोधन किए, तथापि समस्या बनी रही और अनुसंधान कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

अंततः, सी.सी.एम.बी. ने मांग की (जनवरी 2008) कि फर्म या तो इस पूरी सुविधा को नई सुविधा से बदल दे या इकाई की पूरी लागत वापस करे। फर्म ने इसे प्रचालनीय बनाने के लिए बड़े घटकों को बदलने तथा जीर्णोद्धार का प्रस्ताव दिया जिसे सी.सी.एम.बी. द्वारा स्वीकार कर लिया गया। फर्म ने जब पुष्टि की कि सुविधा पूरी तरह सुचारु हो गयी है, उसके बाद सी.सी.एम.बी. ने इसके पुष्टीकरण हेतु बाह्य विशेषज्ञ, वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं अभियंताओं की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।

पुष्टीकरण प्रक्रिया (दिसंबर 2008) के दौरान विशेषज्ञ समिति ने पाया कि सुविधा अभी भी सुचारु नहीं थी तथा बी.एस.एल.-3 कार्य हेतु इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। सी.सी.एम.बी. ने पुनः जुर्माना ब्याज के साथ सुविधा की खरीद की पूरी लागत वापस करने की मांग (दिसंबर 2008) की। सी.सी.एम.बी. ने फर्म के साथ पत्राचार जारी रखा; फिर भी सुविधा को मई 2010 तक सुधारा नहीं जा सका।

इस दौरान, फर्म द्वारा जमा की गई पी.बी.जी. की मान्यता समाप्त हो गई; फिर भी, उसका नवीकरण नहीं किया गया। सी.सी.एम.बी. ने पाँच वैज्ञानिकों की नियुक्ति (2005 से 2007) भी कर दी जो संक्रामक बीमारियों के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले थें तथा जिन्हें इस उद्देश्य हेतु बी.एस.एल.-3 सुविधा की जरूरत थी। हालांकि बी.एस.एल.3 सुविधा के अभाव में वैज्ञानिक अपना अनुसंधान कार्य शुरू करने में असमर्थ थें। परिणामस्वरूप, सी.सी.एम.बी. ने अपनी वर्तमान प्रयोगशालाओं में से एक में दूसरा नया बी.एस.एल.-3 सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव किया (अप्रैल 2008)। सी.सी.एम.बी. ने ₹ 2.44 करोड़ का व्यय करके नई सुविधा स्थापित (जनवरी 2010) की।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान, सी.सी.एम.बी. ने पुनः सूचित किया (नवंबर 2014) कि पूर्वनिर्मित बी.एस.एल.-3 सुविधा को क्रियाशील कर दी गई तथा एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्प्रमाणीकरण किया जाना था। फिर भी, जनवरी 2016 तक यह नहीं किया गया, यह दर्शाते हुए कि सुविधा पुष्टीकरण हेतु आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता था। सुविधा के उपयोगिता हेतु कोई अभिलेख पुस्तिका नहीं रखी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्वनिर्मित बी.एस.एल.-3 सुविधा की खरीद करते समय सरकार की हित की सुरक्षा करने के लिए सी.सी.एम.बी. ने पर्याप्त उपाय नहीं किए। हालांकि सुविधा के स्थापना के लिए कठोर परीक्षण एवं पुष्टीकरण प्रक्रिया आवश्यक थी, सी.सी.एम.बी. ने बिना संबंधित क्रयमूल्य के बैंक गारंटी के तथा बिना सुनिश्चित किए कि सुविधा पूर्ण पुष्टीकरण के बाद हस्तांतरित की गयी है, फर्म को 100 प्रतिशत भुगतान अग्रिम में जारी कर दिया (दिसम्बर 2005) था। यह सी.एस.आई.आर. की क्रय कार्यविधि का उल्लंघन था। यद्यपि फर्म से पी.बी.जी. प्राप्त किया गया था, सी.सी.एम.बी. ने इसके भुगतान या समाप्ति के बाद उसके नवीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया।

सी.एस.आई.आर. ने कहा (फरवरी 2016) कि सुविधा में समस्या को ठीक कर दिया गया तथा यह 2009 से पूरी तरह क्रियाशील है। सी.एस.आई.आर. ने आगे कहा कि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान कार्य किया तथा सुविधा के आरंभ से ही शोध-पत्र प्रकाशित किए गए। उत्तर तथ्यात्मक दृष्टि के विरोधाभासी है क्योंकि सुविधा में समस्या सितम्बर 2010 तक बनी हुई थी। जनवरी 2016 तक गंभीर संक्रामक बीमारियों का अनुसंधान करने में प्रयोग हेतु योग्य ठहराने के लिए सुविधा का पुष्टिकरण नहीं किया गया था। सी.सी.एम.बी. सुविधा के उपयोगिता के लिए अभिलेख पुस्तिका भी प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा, दूसरे बी.एस.एल.-3 सुविधा के स्थापना के

समय सी.सी.एम.बी. ने औचित्य दिया था कि बी.एस.एल.-3 सुविधा का प्रयोग कर अनुसंधान कार्य करने हेतु भर्ती किए गए वैज्ञानिक उसके अभाव में निष्क्रिय थे।

आपूर्ति की गई सुविधा के सुचारु क्रियाशील होना सुनिश्चित किए बगैर अग्रिम के रूप में पूरा भुगतान करना तथा फर्म से प्राप्त पी.बी.जी. का नवीकरण करने में विफल होना सी.सी.एम.बी. को नुकसान पहुंचाया क्योंकि यह दोषपूर्ण सुविधा के प्रतिस्थापन हेतु फर्म पर दबाव डालने में असमर्थ था। इसका परिणाम ₹ 1.90 करोड़[14] के निष्फल व्यय के रूप में हुआ क्योंकि बी.एस.एल.-3 सुविधा को इसके अभीष्ट उद्देश्य हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सका।

[14] फर्म को भुगतान किए गए ₹ 1.79 करोड़ तथा एल.सी. तैयार करने, भाड़ा, सीमा शुल्क इत्यादि के रूप में भुगतान किए गए ₹ 11 लाख।